

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2016/आश्विन 29, 1938 No. 339] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2016/ASVINA 29, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार नीति प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2016

- सं. 14/3/91-टीपीडी.—दिनांक 4 अगस्त, 2015 के आदेश के संशोधन में, यह आम सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि डॉ. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग निम्नलिखित प्रयोजन हेतु श्री अजय कुमार भल्ला, अपर सचिव के स्थान पर तत्काल प्रभाव से नामित प्राधिकारी के कार्याकलापों का निर्वहन करेंगे:
 - (i) सीमा शुल्क टैरिफ (रियायती वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अभिज्ञान, मूल्यांकन एवं एकत्रण तथा हानि का निर्धारण) नियम, 1995 यथासंशोधित, और
 - (ii) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अभिज्ञान, मूल्यांकन एवं एकत्रण तथा हानि का निर्धारण) नियम, 1995 यथासंशोधित ।

संजय चड्ढा, संयुक्त सचिव

4953 GI/2016 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(TRADE POLICY DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2016

No. 14/3/91-TPD.—In modification of the order dated 4 August, 2015, it is hereby notified for general information that **Dr. Inder Jit Singh**, Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce shall discharge the functions of the Designated Authority with immediate effect, in place of Shri Ajay Kumar Bhalla, Additional Secretary for the purpose of :

- (i) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended, and
- (ii) Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended.

SANJAY CHADHA, Jt. Secy.